न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्या :- 10/2020

वादीगणः-

1. चन्द्रा पत्नी पेमाराम
2. भारती पुत्री पेमाराम
3. ममता पुत्री पेमाराम
4. रिंकू पुत्री पेमाराम
5. शशिकला पुत्री पेमाराम
6. सुमित्रा पुत्री पेमाराम
7. हिमांशु पुत्र पेमाराम जातियान जाट निवासीगण बरना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगणः-

1. अनुकंवर पुत्री विशनसिंह
2. दीपकंवर पुत्री विशनसिंह
3. सुरज्ञानकंवर पुत्री विशनसिंह
4. शिवराजसिंह पुत्र विशनसिंह
5. कमलाकंवर पत्नी विशनसिंह
6. कालूसिंह पुत्र विजयसिंह
7. उम्मेदसिंह पुत्र विजयसिंह
8. उच्छबकंवर पत्नी विजयसिंह
9. श्रीपाल पुत्र जबरसिंह
10. लक्ष्मणकंवर पत्नी जबरसिंह
11. ओमसिंह पुत्र भीकसिंह
12. भंवरसिंह पुत्र समन्दरसिंह
13. भंवरसिंह दतकपुत्र दरियावसिंह
14. लादूसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
15. हितेष भाटी पत्नी विक्रमसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम बरना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः- वादी - श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 से 10, 12, 13, 15- स्वयं उपस्थित।
प्रतिवादी सं. 11 व 14- श्री भागीरथ सिंह सोढा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 16- सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :-** 09/06/21

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बरना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 961 रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा किस्म सेवज सोयम आयी हुयी है। उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि में वादीगण का 1/6 वां हिस्सा है तथा 1/36 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 8 का 1/12 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 9 से 10 का 1/18 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 11 का 1/6 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 12 का 1/18 वा हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

13 का 1/6 वा हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 14 का 1/9 वा हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 15 का 1/6 वा हिस्सा निहित है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। उपरोक्त भूमि पूर्व में जालमसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी बरना तहसील बिलाड़ा की 1/6 हिस्से की सयुक्त खातेदारी की थी। खातेदार जालमसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी बरना ने अपनी 1/6 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बैचाननामा दिनांक 19.07.1984 को वादीगण के पक्ष में निष्पादित कर दिया, इस प्रकार वादीगण का दावे के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि में 1/6 वां हिस्सा है। वादीगण अपने हिस्से का बंटवाड़ा कराने के अधिकारी है। विवादग्रस्त भूमि सयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 15 द्वारा वादीगण के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 15 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 15 इसके लिए तैयार नही हुये तो वादीगण अपने 1/6 वां हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादीगण की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 15 वादीगण को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 15 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है। अन्त में वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 961 रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा (13.3404 हैक्टेयर) का बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के 1/6 वा हिस्से की भूमि अलग से वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 15 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा दिनांक 17.03.2020 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बरना तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 961 रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा(13.3404 हैक्टयर) में से वादीगण का 1/6 वां हिस्सा भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	चन्द्रा पत्नि पेमाराम 1/7, भारती पुत्री पेमाराम 1/7, ममता पुत्री पेमाराम 1/7, रिंकू पुत्री पेमाराम 1/7, शशिकला पुत्री पेमाराम 1/7, सुमित्रा पुत्री पेमाराम 1/7, हिमांशु पुत्र पेमाराम 1/7 जाति जाट सा. देह खातेदार	961 बी	2.2234
	कुल योग	1	2.2234

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

2	ओमसिह पुत्र भीकसिंह 1/5, भंवरसिंह दतक पुत्र दरियावसिंह 1/5, हितेष भाटी पत्नी विक्रमसिंह 1/5, लादूसिंह पुत्र बलवन्तसिह 2/15, भंवरसिंह पुत्र समन्दरसिंह 1/15, लक्ष्मणकंवर पत्नी जबरसिंह 1/30, श्रीपाल पुत्र जबरसिंह 1/30, उच्छब कंवर पत्नी विजयसिंह 1/30, उम्मेदसिंह पुत्र विजयसिंह 1/30, कालूसिह पुत्र विजयसिंह 1/30, अनुकंवर पुत्री विशनसिंह 1/150, कमलाकंवर पत्नी विशनसिंह 1/150, दीपकंवर पुत्री विशनसिंह 1/150, शिवराजसिंह पुत्र विशनसिंह 1/150, सुरज्ञानकवंर पुत्री विशनसिंह 1/150 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	961 ए 961 सी	7.1000 4.0170
	कुल योग	2	11.1170

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। तहसीलदार बिलाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान की गई। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 12.01.2021 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 12.01.2021 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09/06/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण
चन्द्रा वगैराह अनुकंवर वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 10/2020

निर्णय **दिनांक :-** 09/06/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 10, 12, 13, 15 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी सं. 11 व 14 की ओर से श्री भागीरथ सिंह सोढा अधिवक्ता, तथा प्रतिवादी संख्या 16 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 12.01.2021 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह -सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 9/6/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा